कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ (छ.ग.)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

/विज्ञापन/

क्र.829../एल.ए.डी.सी.एस/2023 रायगढ़, दिनांक –18/08/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	31/08/2023 संध्या 05.00 बजे तक

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल रायगढ़ के स्थापना हेतु नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशानिर्देश एवं छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर का पत्र कमांक 1730/एल.ए.डी.सी.एस/2023 दिनांक 26.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नालिखित पद में **निर्धारित मानदेय पर नियुक्ति किये जाने हेतु** भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

–: रिक्त पदों का विवरण :–

S.No.	Human Resources for a Legal Aid Defence Counse Office Raigarh	No. Required	Honorariam
1	2	3	4
1	Office Assistant/Clerks	1	17,000/-
2	Receptionist-cum-Data Entry Operator (Typist)	1	14,000/-
3	Office Peon (Munshi/Attendant)	1	10,000/-

–: भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(1) ऑफिस असिस्टेंट/कलर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

- Educational Qualification : Graduation
- Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.
- Good Typing speed with proper setting of petition
- Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts,
- File maintenance and processing knowledge.

18/08/23

(2) **रिसेप्शनिस्ट–कम–डाटा एंट्री अपरेटर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–**

- Educational Qualification : Graduation .
- Excellent verbal and written communication skills,
- Word and data processing abilities,
- The ability to work telecommunication systems (telephones, fax machines, switchboards etc),
- Proficiency with good typing speed.

(3) **ऑफिस प्यून/चपरासी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–**

- प्राथमिक शाला (कक्षा पांचवी) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

–: नियुक्ति व अवधि :–

उक्त पदों पर नियुक्ति संविदात्मक नियुक्ति (Contractual Engagemnet) के रूप निश्चित/निर्धारित मानदेय पर ही की जावेगी, उक्त नियुक्ति जारी आदेश/नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये की जावेगी। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति नियमित, कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। नियुक्त किये गये कर्मचारी छ0ग0 शासन द्वारा वर्तमान में, संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तो के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तो के प्रावधानों के अधीन शासित होगें ।

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–

1. रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी।

2. अ– कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

ब– कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

3. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।

18/08/23

4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक/आवेदिका की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अंतिम रुप से अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

5. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

6. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

7. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

8. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

9. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

10. आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी।

11. उक्त पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा पांचवी/आठवीं एवं दसवीं के प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण ही मान्य होगें।

—: आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया :—

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें।

3. आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ (छ.ग.) में रखे गये ड्राप बॉक्स में सीधे जमा करेंगे।

18/08/23

छत्तीसगढ़ सरकारी समाचार

4. आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक, कोरियर, ई-मेल या अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.08.2023 की संध्या 05.00 बजे तक होगी।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.08.2023 की संध्या 05.00 बजे के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

7. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी व अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज नहीं है और आवेदक को अपात्र मान लिया जायेगा। आवेदक को अपात्र करने एवं आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चातवर्ती क्रम में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे और तत्संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8. आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्व प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा करें तथा पहचान के रुप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

9. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र को निरस्त माना जायेगा।

10. आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

11. विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारुप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट **https:// districts.ecourts.gov.in/raigarh** से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारुप से भिन्न प्रारुप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

12. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

13. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति, अनापत्ति प्रमाण

18/08/23

पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

14. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

15. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते है उन्हें प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है।

16. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी देंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च्य शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रकम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

17. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर रुपये 5–5, पांच–पांच रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रुप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा डाक टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।

18. जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी, सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया के अनुसार छटनी के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, रायगढ़ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट **https:// districts.ecourts. gov.in/**

10/08/23

raigarh पर अपलोड की जाएगी। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा वेबसाईट में भी दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे।

19. यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और कार्यालय के उक्त वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

20. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

–: नियुक्ति हेतु चयन विधि –

1. विज्ञापित पदों के संबंध में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रकिया के माध्यम से Short-listing की जायेगी।

अभ्यर्थियों की 100 अंको की लिखित परीक्षा (जिसमें 100 बहुविकल्पिय प्रश्न होंगे) ली जा सकेगी एवं उक्त लिखित परीक्षा मेरिट के आधार पर एक पद के लिये 30 अभ्यर्थियों को Short-listing किया जावेगा तथा मेरिट में Short-listing किये गये अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य/कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

अथवा

ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–कम–डाटा एंट्री आपरेटर के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर एवं ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा पांचवीं के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर एक पद के लिये 30 अभ्यर्थियों को Short-listing किया जा सकेगा। मेरिट में Short-listing किये गये अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य/कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों के छटनी (Short-listing) की प्रकिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जा सकेगा, जो अंतिम होगा।

2. **ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–कम–डाटा एंट्री आपरेटर के पद हेतु मुख्य/कौशल परीक्षा :–**

18/08/23

उपरोक्त पदों के चयन हेतु Short-listing किये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों की मुख्य/कौशल परीक्षा भर्ती/चयन समिति जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ द्वारा आयोजित की जायेगी। कौशल परीक्षा में उम्मीदवारों को 250 शब्द के हिन्दी गद्यांश / Matter को लगभग 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टंकित करना होगा। टंकण हेतु फोंट साईज–14, लाई स्पेसिंग–1.5 तथा मार्जिन, टॉप, राईट, लेफ्ट, बॉटम 3.00 से.मी. निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा Ubuntu (18.04 या अधिक) ऑपरेटिंग सिस्टम में Libre Office में लिया जावेगा। यूनिक कोड हिन्दी (वेदमाता/Kruti dev) फोंट का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थियों को नियत 10 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकन करना होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। टंकन के प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। टंकन हेतु निर्धारित फोंट, स्पेस, हेडिंग बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग आदि प्रत्येक अशुद्धि के लिये आधा अंक काटा जायेगा।

3. **ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु :–**

ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु Short-listing किये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेज परीक्षण के उपरांत अभ्यर्थियों की 20 अंको की कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता इत्यादि बिन्दुओं पर परखा जायेगा।

4. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेगें जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट–कम–डाटा एंट्री आपरेटर के पद के लिये स्नातक में जिस आवेदक के प्राप्तांक/प्रतिशत ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा ऑफिस प्यून/चपरासी के पद के लिये कक्षा पांचवी में जिस आवेदक के प्राप्तांक/प्रतिशत ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

–: चयन एवं प्रतीक्षा सूची :–

1. केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। उक्त चयन सूची के

18/08/23

अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़, छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उम्मीदवारों की तैयार व जारी की गई प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयनित पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करने या कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देने या उसे एक वर्ष के कालावधि के पूर्व पदमुक्त कर दिये जाने या उसके मृत्यु हो जाने अथवा अन्य कारणों से उक्त पद के रिक्त हो जाने पर प्रतिक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

2. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23 मु.म.नि./2014/1–7 दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. चयन सूची और प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय, रायगढ़ की वेबसाईट एवं प्रबंध कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा।

4. चयनित उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ को होगा।

6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

7. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय रायगढ़ के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की सकेगी।

8. नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा रीट पिटीशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

9. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

चयन प्रकिया के संबंध में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधन कारी होगा।

चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
रायगढ़ (छ.ग.)

अनुमोदित

Distt. Judge Chairman
Distt. Legal Service Authority
Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन पत्र का प्रारूप
कार्यालय भृत्य/(मुंशी/अटेन्डेंट)
संविदा कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण रायगढ़ (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)

3. लिंग पुरूष संकेतक–1 महिला संकेतक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
(हिन्दी में) : ....

(ब)स्थाई पता: ....
....

6. (अ) जन्मतिथि (अंको में)

(शब्दों में) : ....

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु: .... वर्ष .... माह ....दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर: ....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है। हां/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

11. शैक्षणिक योग्यता :–

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत /ग्रेड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप:-प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। **प्रमाण पत्र का नाम** संलग्न है/संलग्न नहीं।

1. 5 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
2. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....
3. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
4. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....
6. अन्य -..

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाइल नं.-

ई-मेल-

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरें)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

आवेदन पत्र का प्रारूप

क्लर्क/डाटा इन्ट्री आपरेटर के संविदा पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)

3. लिंग पुरूष संकेतक–1 महिला संकेतक–2 [ ]

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
(हिन्दी में) : ....

(ब)स्थाई पता: ....

....

6. (अ) जन्मतिथि (अंको मे)

(शब्दों में) : ....

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु: .... वर्ष .... माह ....दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर: ....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है। हां/नहीं ☐

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

11. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप:-प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। **प्रमाण पत्र का नाम** संलग्न है/संलग्न नहीं।

1. 10 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
2. 12 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
3. स्नातक की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
4. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....
5. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
6. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
7. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....
8. अन्य -..

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर–

नाम एवं पूरा पता–

मोबाइल नं.–

ई–मेल–

(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरें)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार